मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 52
20.07.2026 को उत्तर के लिए

बिहार के बक्सर में स्थित गोकुल जलाशय का संरक्षण और विकास

52. श्री सुधाकर सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय के संरक्षण और विकास के लिए लगभग दो वर्ष पहले 64 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) क्या परियोजना को पूरा करने के लिए कोई संशोधित समय-सीमा तय की गई है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं तथा इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत बिहार के बक्सर स्थित गोकुल जलाशय के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझेदारी के आधार पर 32.483 करोड़ रुपये की कुल लागत से एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) को दिनांक 17.10.2024 को पाँच वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी।

बिहार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, किए गए कार्यों में आर्द्रभूमि की सीमा के साथ जियो-टैग किए गए स्तंभों की स्थापना, आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करने वाले सूचना पट्टों की स्थापना, पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक गोकुल जलाशय पक्षी महोत्सव सहित जागरूकता कार्यशालाओं एवं उत्सवों का आयोजन, आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए संसाधन सामग्री का निर्माण एवं प्रसार तथा जल गुणवत्ता नमूना संग्रह केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना शामिल हैं। अब तक, एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) के कार्यान्वयन के लिए 25.34 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है। चूँकि एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) की अवधि पाँच वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2028-29 के अंत तक है, इसलिए वर्तमान में संशोधित समय-सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है।
